परिपत्र सं**. 252/09/2025-**जीएसटी

फा.सं. GST/INV/DIN-Utility/2022-23

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

नई दिल्ली दिनांक **23** सितंबर**,2025.**

विषय**-** ई**-**ऑफिस के माध्यम से करदाताओं को किया जाने वाला संचार **–** दस्तावेज़ पहचान संख्या **(DIN)** की आवश्यकता**-** के संबंध में।

दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) के सृजन एवं उद्धरण से संबंधित बोर्ड के परिपत्र संख्या 122/41/2019- जीएसटी दिनांक 05 नवंबर 2019 और 128/47/2019-जीएसटी दिनांक 23.12.2019 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो प्रारंभ में निर्दिष्ट दस्तावेजों पर, तथा बाद में करदाताओं एवं संबंधित व्यक्तियों से सभी प्रकार के संचार (ईमेल सहित) तक विस्तारित कर दिया गया था।

2. बोर्ड के अनुवर्ती परिपत्र संख्या 249/06/2025-जीएसटी दिनांक 09.6.2025 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जीएसटी कॉमन पोर्टल (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 169 के अनुपालन में) के माध्यम से संचार के लिए सत्यापन योग्य संदर्भ संख्या (आरएफएन)युक्त दस्तावेज़ पर दस्तावेज़ पहचान संख्या(डीआईएन)का उद्धरण आवश्यक नहीं है और इस तरह के आरएफएन युक्त संचार को एक वैध संचार माना जायेगा।

3. इसी प्रकार, बोर्ड के संज्ञान में यह यह लाया गया है कि सीबीआईसी के ई-ऑफिस से जारी किए गए संचार में स्वचालित रूप से जनित विशिष्ट 'इश्यू नंबर' अंकित होता है। हालाँकि, इश्यू नंबर के माध्यम से ऐसे संचारों की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए कोई ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए ऐसे संचारों पर डीआईएन उत्पन्न करने और उद्धृत करने की आवश्यकता थी। अब एक ऑनलाइन सुविधा विकसित की गई है और उसे क्रियाशील बनाया गया है (URL https://verifydocument.cbic.gov.in), जहाँ करदाता और अन्य संबंधित व्यक्ति सीबीआईसी अधिकारियों द्वारा ई-ऑफिस एप्लिकेशन में सार्वजनिक विकल्प का उपयोग करके भेजे गए संचारों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनित विशिष्ट "इश्यू नंबर" को ऑनलाइन सत्यापित कर सकते हैं। सत्यापन पर, यह सुविधा इश्यू नंबर और अन्य विवरणों की पुष्टि करती है और दस्तावेज़ को प्रमाणित करने के लिए जानकारी प्रदान करती है, यथा-

I. फ़ाइल संख्या,
ii. दस्तावेज़ जारी करने की तारीख,
iii. संचार का प्रकार,
iv. दस्तावेज़ जारी करने वाले कार्यालय का नाम,
v. प्राप्तकर्ता का नाम (छिपा हुआ),
vi. प्राप्तकर्ता का पता (छिपा हुआ),
vii. प्राप्तकर्ता का ईमेल (छिपा हुआ)।

4. दस्तावेज़ जारी करने वाले कार्यालय का नाम ई-ऑफिस में उपलब्ध डेटा से दर्ज किया जाता है, जबकि दस्तावेज़ का प्रकार, प्राप्तकर्ता का नाम, प्राप्तकर्ता का पता, प्राप्तकर्ता का ईमेल दस्तावेज़ बनाने वाले अधिकारियों द्वारा मेटाडेटा में दर्ज किया जाता है। सीबीआईसी के ई-ऑफिस के माध्यम से संचार जारी करने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के लिए अनुमोदन से पहले मसौदा तैयार करते समय मेटाडेटा में इस जानकारी को भरना और उसकी शुद्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

5. उपरोक्त के आलोक में, ई-ऑफिस एप्लिकेशन में सार्वजनिक विकल्प का उपयोग करके भेजे गए ऐसे संचार पर, जिस पर पहले से ही 'इश्यू नंबर' अंकित है, अलग डीआईएन उद्धृत करने से दो अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न सत्यापन योग्य विशिष्ट संख्याएं प्रदर्शित होंगी, जो ऐसे संचार पर अलग से डीआईएन का हवाला देना अनावश्यक बनाता है। अतः निर्णय लिया गया है कि सीबीआईसी के ई-ऑफिस एप्लिकेशन में सार्वजनिक विकल्प का उपयोग करके भेजे गए संचार के लिए, सत्यापन योग्य ई-ऑफिस 'इश्यू नंबर' को दस्तावेज़ पहचान संख्या माना जाएगा और ऐसे संचार को वैध संचार माना जाएगा।

6. डीआईएन उपयोगिता के माध्यम से उत्पन्न दस्तावेज़ पहचान संख्या को अन्य सभी संचारों पर अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाना जारी रहेगा, जिन्हें या तो सीबीआईसी के ई-ऑफिस एप्लिकेशन में सार्वजनिक विकल्प का उपयोग करके प्रेषित नहीं किया गया है या जिन पर जीएसटी कॉमन पोर्टल से उत्पन्न सत्यापन योग्य संदर्भ संख्या (आरएफएन) नहीं है।

7. बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या 122/41/2019- जीएसटी दिनांक 05.11.2019, परिपत्र संख्या 128/47/2019-जीएसटी दिनांक 23.12.2019 और परिपत्र संख्या 249/06/2025-जीएसटी दिनांक 09.06.2025 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

Digitally signed by
Abhishek Chandra Gupta
Date: 23-09-2025
16:57:54

(डॉ. अभिषेक चन्द्र गुप्ता)
आयुक्त (आर आई & आई)
सीबीआईसी, राजस्व विभाग
ई मेल आई डी: gstinv-cbic@gov.in

प्रति :-

1. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी अंचल/ सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क अंचल।
2. सीबीआईसी के अंतर्गत सभी प्रधान महानिदेशक/ महानिदेशक।
3. सिस्टम एवं डेटा प्रबंधन महानिदेशालय को जीएसटी कॉमन पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न डीआईएन या आरएफएन वाले संचार के लिए सत्यापन लिंक के साथ-साथ ई-ऑफिस 'इश्यू नंबर' वाले दस्तावेजों के सत्यापन हेतु करदाताओं के लिए उपयुक्त जानकारी/ लिंक को शामिल करने के लिए।
4. वेबमास्टर, सीबीआईसी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।